कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

प्रकरण संख्या 25/2019 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत

श्री गुरचरण सिंह पुत्र श्री नाहरसिंह जाति जटसिख केयर ऑफ
सुखमेन्द्र सिंह पुत्र करनेलसिंह चक 22 एसएसडब्ल्यु पो.
किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——अपीलार्थी

बनाम

तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़।

——प्रत्यर्थी

आदेश दिनांकः—13.06.2019

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़ के विरूद्ध प्राप्त हुई।

अपीलार्थी के अपील में अंकित तथ्यो के अनुसार तहसील कार्यालय हनुमानगढ से दिनांक 10.05.2019 को मौखिक रूप से प्रार्थी को पत्रावली कार्यालय में नही है कहकर सूचना देने से मनाकर दिया है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील वांछित सूचना दिलवाने जाने हेतु की है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ से पत्र कमांक 836 दिनांक 29.052019 द्वारा जबाव प्राप्त हुआ जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित किया जाना पाया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ के पत्र क्रमांक 836 दिनांक 29.5.2019 के साथ संलग्न पत्रांक 232 दिनांक 14.5.2018 की प्रति का अवलोकन करने से तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपीलार्थी को सूचना प्रेषित किया जाना पाया गया। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के इस अपील में ओर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से अपीलार्थी की यह अपील उक्तानुसार निर्णित की जाती है। आदेश की प्रति दोनो पक्षों को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official